



वर्शिव पर्यावरण दविस

प्रलिस के लयि:

वर्शिव पर्यावरण दविस, संयुक्त राष्ट्र सभा, स्टॉकहोम सम्मेलन, COP26, NAP, LiFE आंदोलन, NRLM.

मेन्स के लयि:

वर्शिव पर्यावरण दविस, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और संबंधति पहल

चर्चा में क्यों?

जागरूकता के प्रसार और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लयि प्रत्येक वर्ष 5 जून को वर्शिव पर्यावरण दविस मनाया जाता है।

- भारत ने इस अवसर पर 'पर्यावरण के लयि जीवनशैली आंदोलन (Lifestyle for the Environment (LiFE) Movement)' शुरू कयि।

वर्शिव पर्यावरण दविस की मुख्य वर्शेषताएँ:

परचिय:

- संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में वर्शिव पर्यावरण दविस की स्थापना की, जोमानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था।
- प्रत्येक वर्ष वर्शिव पर्यावरण दविस का उत्सव एक वर्शिष्ट वषिय और नारे के साथ आयोजति कयि जाता है जो उस समय की प्रमुख पर्यावरणीय चति को संदर्भति करता है।
- यह प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजति कयि जाता है।
 - उदाहरण के लयि भारत ने 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' थीम के तहत वर्शिव पर्यावरण दविस के 45वें उत्सव की मेज़बानी की।
- पछिले साल वर्शिव पर्यावरण दविस समारोह ने पारसिथितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक (2021-2030) की भी शुरुआत की, जो जंगलों से खेतों तक, पहाड़ों के शीर्ष से समुद्र की गहराई तक अरबों हेक्टेयर क्षेत्र को पुनर्जीवति करने के लयि एक वैश्विक मशिन है।

2022 के लयि थीम:

- केवल एक पृथ्वी (OnlyOneEarth):
 - यह 1973 में पहले वर्शिव पर्यावरण दविस की थीम को संदर्भति करता है।

महत्त्व:

- 2022 एक ऐतहासिक मील का पत्थर है क्योंकि यह 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 साल पूरे कर रहा है।

पर्यावरण के लयि जीवन शैली (LiFE) आंदोलन'

परचिय:.

- LiFE का वचिार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) के दौरान प्रस्तुत कयि गया था।
 - यह वचिार पर्यावरण के प्रतजागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो 'नासमझी और अपव्यय' के बजाय 'सचेत और जान-बूझकर उपयोग' के सिद्धांत पर केंद्रति है।
- मशिन के शुभारंभ के साथ प्रचलति "उपयोग और नपिटान" अर्थव्यवस्था, बेतरतीब एवं वनिाकारी उपभोग तथा प्रशासन को एक चक्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा प्रतसिथापति कयि जाएगा, जसि 'सचेत और स्व-खपत' द्वारा परभाषति कयि जाएगा।

उद्देश्य:

- आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और पूरे वर्शिव के व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु-अनुकूल कार्य करने के लयि प्रेरति करना है।

- यह जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिये सामाजिक नेटवर्क की शक्तिका लाभ उठाने का भी प्रयास करता है।
- मशिन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, जिसका नाम 'प्रो-प्लैनेट पीपल' (P3) है।
 - P3 की पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिये एक साझा प्रतिबद्धता होगी।
 - P3 समुदाय के माध्यम से यह मशिन एक पारस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास करता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को आत्मकेंद्रित होने के लिये सुदृढ़ और सक्षम करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के मामले में भारत:

■ वनावरण में वृद्धि:

- भारत का वन क्षेत्र का विस्तार हो रहा है और इसलिये शेरों, बाघों, तेंदुओं, हाथियों और गैंडों की आबादी बढ़ रही है।
 - कुल वन क्षेत्र वर्ष 2021 में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जबकि 2019 में 21.67% और 2017 में 21.54% था।

■ स्थापित वदियुत क्षमता:

- गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से स्थापित वदियुत क्षमता के 40% तक पहुँचने की भारत की प्रतिबद्धता निर्धारित समय से 9 साल पहले हासिल कर ली गई है।

■ इथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य:

- पेट्रोल में **10% एथेनॉल सम्मिश्रण** का लक्ष्य नवंबर 2022 के लक्ष्य से 5 महीने पूर्व ही प्राप्त किया जा चुका है।
- यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2013-14 में सम्मिश्रण मुश्किल से 1.5% और 2019-20 में 5% था।

■ अक्षय ऊर्जा लक्ष्य:

- भारत सरकार भी **अक्षय ऊर्जा** पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है।
- 30 नवंबर, 2021 को देश की स्थापित **अक्षय ऊर्जा (RE)** क्षमता 150.54 गीगावाट (सौर: 48.55 गीगावाट, पवन: 40.03 गीगावाट, लघु जलवदियुत: 4.83, जैव-शक्ति: 10.62, बड़ी हाइड्रो: 46.51 गीगावाट) है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बजिली क्षमता 6.78 गीगावाट है।
 - भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता से युक्त देश है।

अन्य पहल:

- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम:** यह वनों के आसपास के अवक्रमित वनों के पुनर्वास और वनरोपण पर केंद्रित है।
- **हरति भारत के लिये राष्ट्रीय मशिन:** यह **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना** (National Action Plan on Climate Change) के अंतर्गत है और इसका उद्देश्य जलवायु अनुकूलन एवं शमन रणनीति के रूप में वृक्षों के आवरण में सुधार तथा वृद्धि करना है।
- **राष्ट्रीय जैवविविधता कार्य योजना:** इसे प्राकृतिक आवासों के क्षरण, वखिंडन और नुकसान की दरों में कमी के लिये नीतियों को लागू करने हेतु शुरू किया गया है।
- **ग्रामीण आजीविका योजनाएँ:** ग्रामीण आजीविका से आंतरिक रूप से जुड़े प्राकृतिक संसाधनों की मान्यता **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** (मनरेगा) और **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मशिन** (NRLM) जैसी प्रमुख योजनाओं में भी परलक्षित होती है।